



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-17032026-271019
CG-OR-E-17032026-271019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1328]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 1328]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 17 मार्च, 2026

का.आ. 1393(अ).— केंद्र सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	पूर्वी तट रेलवे की अंगुल-सुकिंदा रेलवे लाइन (84.76 किमी) का दोहरीकरण	ओडिशा

[फा. सं. CE/CON/IV/BBS/Angul-Sukinda Doub/SRP]

अजय कुमार सामल, मुख्य इन्जीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]
NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 17th March, 2026

S.O. 1393(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Railway (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

SPECIAL RAILWAY PROJECT

S.No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	“Doubling of Angul-Sukinda Railway Line (84.76 Km) of East Coast Railway”	Odisha

[F. No. CE/CON/IV/BBS/Angul-Sukinda Doub/SRP]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)